बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञाप सं0– 12/नि0 1009/10–(छा0सं0) सा0प्र0–   /पटना–15, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
पटना ।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित ।

द्वाराः– वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

विषयः–बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–3983 दिनांक 03.05.2010 एवं 8487 दिनांक 30.08.2010 के द्वारा अस्थायी रूप से सृजित तथा स्वीकृत्यादेश सं0–14187 दिनांक 30.8.2013 के द्वारा दिनांक 01.04.2013 के प्रभाव से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तारित कुल 432 पदों में से मूल कोटि के पे–बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 5400/– में वरीय उप समाहर्त्ता के कुल 99 पदों के अवधि विस्तार के संबंध में ।.

आदेश– स्वीकृत ।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–942 दिनांक 28.01.10 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के अन्तर्गत विभिन्न स्तर के 851 संवर्गीय पद निर्धारित एवं चिन्हित किये गये। उक्त चिन्हितीकरण के पूर्व बिहार प्रशासनिक सेवा के अन्तर्गत विभिन्न ग्रेडों में 1447 पदाधिकारी कार्यरत थे। इस प्रकार बिहार प्रशासनिक सेवा के कुल–596 पदाधिकारी अतिरेक हो गये। वर्णित स्थिति में चिन्हित बल के विरूद्ध अतिरेक पदाधिकारी कार्यरत रहने के कारण विभागीय राज्यादेश सं0–3983 दिनांक 03.05.10 एवं 8487 दिनांक 30.8.10 द्वारा मूल कोटि के पे बैंड रू0 9300–34800 ग्रेड पे 5400/– में वरीय उप समाहर्त्ता के 372 पद एवं विशेष कार्य पदाधिकारी के 30 पद तथा अपर समाहर्त्ता/समकक्ष स्तर के पे बैंड रू0 15600–39100, ग्रेड पे रू0 7600/– में विशेष कार्य पदाधिकारी के 30 पद अस्थायी रूप से दि0 01.04.10 के प्रभाव से अगले तीन वर्ष के लिए सृजित किये गये । पुनः विभागीय राज्यादेश सं0–14187 दिनांक 30.08.13 द्वारा उक्त सृजित पदों का दिनांक 01.04.13 के प्रभाव से अगले तीन वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया गया ।

2. बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्त्ता/समकक्ष स्तर में स्थायी रूप से स्वीकृत पद बल से अतिरेक पदाधिकारी नहीं हैं । ऐसी स्थिति में अपर समाहर्त्ता/समकक्ष स्तर में विशेष कार्य पदाधिकारी के 30 अस्थायी रूप से सृजित पदों का अवधि विस्तार की आवश्यकता नहीं है। बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के लिए स्वीकृत स्थायी रूप से स्वीकृत पदबल से 99 पदाधिकारी अतिरेक हैं । ऐसी स्थिति में बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि में पे–बैंड रू0 9300–34800 ग्रेड पे–5400/–, में 99 (निन्यानवे) अस्थायी पदों के अवधि विस्तार की आवश्यकता है ।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार प्रशासानिक सेवा संवर्ग के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–3983 दिनांक 03.05.2010 एवं 8487 दिनांक 30.08.2013 के द्वारा दिनांक 01.04.2013 के प्रभाव से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तारित कुल 432 पदों में से मूल कोटि के पे बैंड

रू0 9300–34800 ग्रेड पे–5400/– में वरीय उप समाहर्त्ता के कुल 99 पदों को दिनांक 01.04.2016 के प्रभाव से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तारित करने के प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति से स्वीकृति प्राप्त है ।

4. अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति में बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–3983 दिनांक 03.05.2010 एवं 8487 दिनांक 30.08.2010 के द्वारा अस्थायी रूप से सृजित तथा स्वीकृत्यादेश सं0–14187 दिनांक 30.08.2013 के द्वारा दिनांक 01.04.2013 के प्रभाव से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तारित कुल–432 पदों में से मूल कोटि के पे बैंड रू0 9300–34800 ग्रेड पे–5400/– में वरीय उप समाहर्त्ता के कुल 99 पदों को दिनांक 01.04.2016 के प्रभाव से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तारित किया जाता है ।

5. पदों के सृजन पर होनेवाले व्यय पूर्ववत संबंधित विभागीय बजट शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(केशव कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–12/नि0–1009/10 (छा0सं0) सा0प्र0–2169 /पटना–15, दिनांक–22.2.17

प्रतिलिपि– वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ दिनांक 25.01.2017 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के मद सं0 16 के आलोक में संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय बेवसाइड पर डालने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/2/2017

सरकार के संयुक्त सचिव